न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 2/17 दायर दिनांक 19.06.17 फैसल दिनांक 20.11.2019

1. श्री मन्दिर महादेवजी उल्टी गंगा गॉव झडोली–करसेलिया तहसील धरियावद जरिये पुजारी चौखा पिता कालिया जी जाति मीणा निवासी झडोली मजरा गमेती फला तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़

महादेवजी उल्टी गंगा गॉव झडोली–करसेलिया मन्दिर के कार्यकर्तागण

2. श्री भीमजी पिता नवला जी जाति मीणा आयु 65 वर्ष निवासी झडोली मजरा भगता फला तहसील धरियावद
3. श्री कालिया पिता भेराजी जाति मीणा आयु 65 वर्ष निवासी झडोली मजरा भगता फला तहसील धरियावद
4. श्री कचरिया पिता पुंजीयर जी जाति मीणा आयु 55 वर्ष निवासी झडोली मजरा भगता फला तहसील धरियावद
5. श्री पुनीया पिता आलीया जी जाति मीणा आयु 35 वर्ष निवासी झडोली मजरा भगता फला तहसील धरियावद
6. श्री बाबरू पिता धुलिया जी जाति मीणा आयु 42 वर्ष निवासी झडोली मजरा देलात फला तहसील धरियावद
7. श्री शंकर पिता केशिया जी जाति मीणा आयु 38 वर्ष निवासी झडोली मजरा देलात फला तहसील धरियावद
8. श्री भीमा पिता रोडा जी मीणा आयु 65 वर्ष निवासी झडोली मजरा कजोडी फला तहसील धरियावद
9. श्री वक्ता पिता पदमा जी जाति मीणा आयु 60 वर्ष निवासी झडोली मजरा आम्बाफला तहसील धरियावद
10. श्री खेतीया पिता श्री केशिया जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी झडोली मजरा आम्बाफला तहसील धरियावद

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामा पिता श्री गोतमा मीणा आयु वयस्क
2. श्रीमती राधा पत्नि श्री रामाजी मीणा आयु वयस्क निवासीयान करसेलिया तहसील धरियावद

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन निरस्त हेतु

उपस्थितः– 1– श्री विमल कुमार मोदी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– श्री शरद चिप्पड, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

निर्णय दिनांक 20.11.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मन्दिर महादेव जी उल्टी गंगा गांव झडोली व करसेलिया (ग्राम पंचायत झडोली) की सीमा पर स्थित है। उक्त मन्दिर का पुजारी प्रार्थी क्रमांक 1 है व प्रार्थी क्रमांक 2 से 10 मन्दिर के कार्यकर्तागण है। मन्दिर महादेव जी उल्टी गंगा एक तीर्थ स्थल है जिस पर आस–पास के गांव के लोग पुजनार्थ व दर्शनार्थ आते है। उक्त मन्दिर ऐतिहासिक है। उक्त मन्दिर पर प्रति वर्ष फाल्गुन सुदी 15 पुर्णिमा वेशाख सुदी 15 पुर्णिमा एवं भादवा सुदी 15 पुर्णिमा पर काफी बडे मेले लगते है जिसमे धरियावद तहसील व तहसील के आस–पास के गांव के करीब 5000 से अधिक धार्मिक लोग मेले में आते है। मन्दिर के तीन और नदी है व मन्दिर के आगे वादग्रस्त मौजा करसेलिया की आराजी नं. 263/1 रकबा 11 बीघा स्थित है। इसी आराजी पर प्रति वर्ष मेला लगता है। मन्दिर नदी के बीच पहाडी पर स्थित है। विपक्षीगण ने उक्त आराजीयात में से 3 बीघा 10 बीस्वा को आवंटन हेतु फार्म भरा था। जिस पर पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की, जबकि पटवारी हल्का को जानकारी है कि उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग में मन्दिर के मेले के उपयोग में पीडियों से चली आ रही है। विपक्षीगण ने आवंटन हेतु फार्म भरा/फार्म पर आवंटन कमेटी की राय हुई लेकिन गैर खातेदारी हक से अलोट करने की अनुमति नही दी दी जाती है। आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी जी के हस्ताक्षर भी नही है। फिर भी बिना आदेश के ही उक्त पत्रावली के अनुसार आराजी विपक्षीगण के नाम पर दर्ज की गई है। जो कानूनन गलत है। क्योंकि आवंटन हुआ ही नही है। विपक्षीगण के नाम पर आराजी नम्बर 263/1 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा का नामान्तरकरण नं. 421 खोला गया उस पर पटवारी हल्का ने कोई तारीख दर्ज नही की है। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 10.11.2005 को तहसीलदार पे प्रमाणित किया है, लेकिन नामान्तरकरण स्वीकृत दिनांक 10.11.05 को हुआ है व उसकी जॉच गिरदावर द्वारा दिनांक 14.11.2005 को की गई है, जबकि उस समय कमान्ड की राशि भी जमा नही हुई थी। उक्त नामान्तरकरण का अमल रोकने का आदेश नामान्तरकरण पर दर्ज है। लेकिन फिर भी बिना किसी आदेश के ही नामान्तरकरण का अमल संवत् 2070–2073 की जमाबन्दी पर करर दिया गया है। वादग्रस्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र की हैं आवंटन फार्म पर बाद में बढ़ा हुआ दिखता है कि आवंटन भूमि का कमाण्ड प्रिमियम नियमानुसार जमा कराने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

को लिखा है। लेकिन कमेटी की राय में भी ऐसा कोई विवरण दर्ज नही है। आवंटन आदेश पर भी यह बात दर्ज नही है कि भूमि कमाण्ड की है व कमाण्ड की प्रिमियम वसूल करे।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन की कार्यवाही जो बिना आदेश के की गई है उसे निरस्त की जाकर आराजी पुनः बिलानाम दर्ज कराई जावे व मेले के सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित की जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब 26.10.2017 नियत की गई। नियत दिनांक को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध कराई जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.10.2017 मुकर्रर की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड मंगवाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता विपक्षी को दी गई। कई बार बहस हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2019 को उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि जो आवंटन हुआ है वह नियमानुसार नही होकर गलत तरीके से किया गया है। आवंटन पत्रावली पर फर्द अहकाम पूर्ण रूप से रिक्त है एवं रिक्त फर्द अहकाम पर उपखण्ड अधिकारी धरियावद ने हस्ताक्षर कर रखे है। आवंटन पत्रावली में खातेदार के नाम पूर्व में उपलब्ध भूमि की भी पूर्ति नहीं की गई है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि कमाण्ड भूमि को आवंटन करने का अधिकार उपनिवेशन विभाग की बिना अनुमति के नही किया जा सकता। किन्तु आवंटन पत्रावली के साथ इस तरह का कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है एवं प्रिमियम राशि को भी गोला कर बढाई गई है। अतः आवंटन खारीज किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि आवंटित भूमि पर यदि मेला लगता है, इस तरह का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया कि आवंटित भूमि पर ही मेला लगता है। वर्तमान में उक्त भूमि खातेदार श्री रामा पिता गौतमा मीणा के ही कब्जे में है एवं मेले के समय कोई फसल बुवाई का समय नही होने की वजह से आमजन द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग किया जाता है, किन्तु मेले के उपरान्त उक्त भूमि पर खातेदार श्री रामा पिता गौतमा मीणा द्वारा ही काश्त की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 263/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थी श्री रामा पिता गौतमा मीणा एवं राधा पत्नि रामा मीणा के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 2004 में हुआ। प्रार्थी द्वारा आवंटन खारिज कराने का प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर मेला लगता है। प्रार्थी ने इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़ (राज.)

अति. जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2019.11.29 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: